न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 23/2020 ई.रे. दिनांक 10.11.2025

1– अजयसिंह पिता लक्ष्मणसिह राजपूत नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
2– कोमलसिंह पिता लक्ष्मणसिह राजपूत जरिये सरंक्षक माता मैना कुंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
3– चमनसिंह पिता लक्ष्मणसिह राजपूत जरिये सरंक्षक माता मैना कुंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
4– मैना कुवर विधवा स्व. लक्ष्मणसिंह राजपूत नि. बोहेड़ा हा. मु. उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1– गोविन्दसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी बोहेडा
2– जयसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी बोहेडा
3– भेरूसिंह पिता कजोड़ राजपूत निवासी बोहेडा
4– कैलाशसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत निवासी बोहेडा
5– सत्यनारायण पिता भेरूलाल तैली निवासी बोहेडा
6– तहसीलदार बडीसादडी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– श्री वी.एस. राठौड़ वकील प्रार्थीगण
श्री डी.के. वैष्णव वकील विपक्षी नं. 5 व 6

–:: आदेश::–

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

1. प्रार्थीगण की ओर से एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तिम निस्तारण में समय लगने की सम्भापना होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. ग्राम बोहेड़ा तहसील बडीसादडी में सम्वत् 2076 से 2079 की जमाबन्दी के अनुसार खाता संख्या 709 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 376 क्षेत्रफल 0.6900 हैक्ट. लगानी रू 7.59 स्थित है। इसी प्रकार खाता संख्या 1320 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 410 क्षेत्रफल 0.3500 हैक्ट. लगानी रू 4.55 खसरा नम्बर 414 क्षेत्रफल 0.0400 हैक्ट. लगानी रू 0.52 खसरा नम्बर 418 क्षेत्रफल 0.1500 हैक्ट. लगानी रू 1.95 खसरा नम्बर 421 क्षेत्रफल 0.1100 हैक्ट. लगानी रू 1.43 खसरा नम्बर 422 क्षेत्रफल 0.2300 हैक्ट. लगानी रू 2.99 स्थित है। सुविधा के लिए से इन आराजीयात को वादग्रस्त आराजीयात को वादग्रस्त आराजीयात के नाम से संबोधित किया जायेगा।
3. खाता संख्या 709 के अन्तर्गत आराजी में अप्रार्थीगण 1 गोविन्दसिंह का जयसिंह का पृथक पृथक रूप से 1/6 हिस्सा दर्ज है तथा खाता संख्या 1320 के अन्तर्गत दर्ज आराजीयात में अप्रार्थीगण गोविन्दसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:51:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

के नाम पर 1/18 तथा अप्रार्थीगण जयसिंह व कमला कवंर के नाम पर पृथक पृथक 1/6 हिस्सा दर्ज है।

4. प्रार्थीगण का पारिवारीक सजरा निम्न प्रकार है। वादग्रस्त आराजीयात पितृ पुरूष कजोडसिंह के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। कजोडसिंह की मृत्यु हो जाने पर कजोडसिंह की खातेदारी की वादग्रस्त आराजीयात 1/2 हिस्से के रूप में मोहनसिंह व भैरूसिंह के नाम पर विरासत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है मृतक मदनसिंह मोहनसिंह का सबसे बडा पुत्र था जिसकी अविवाहित मृत्यु करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा उसके कोई वारीस नहीं है लक्षमणसिंह के भी आज से करीब 9 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है जिसके वैधानिक वारीस प्रार्थीगण है। प्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण गोविन्दसिंह तथा जयसिंह मोहनसिंह के पुत्र है। मोहनसिंह की मृत्यु आज से करीब 8 वर्ष हुई अर्थात मोहनसिंह से पूर्व मोहनसिंह के पुत्र लक्षमण की मृत्यु हुई । मोहनसिंह की विधवा अप्रार्थीया कमला कवंर है।

5. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक सम्पति है जिसमें मृतक लक्षमणसिंह का राईट टाईबल व इन्टरेस्ट लक्षमणसिंह के जन्म से ही स्थापित हो चुका था तथा प्रार्थीगण अजयसिंह कोमलसिंह व चमनसिंह का राईट टाईटल व इन्टरेस्ट भी वादग्रस्त आराजीयात में अपने जन्म से ही स्थापित हो चुका था तथा लक्षमणसिंह की मृत्यु होते ही प्रार्थीया मैना कुवंर का भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वत्व स्थापित हो चुका है। इस प्रकार मृतक मोहनसिंह के नाम पर दर्ज हिस्से में स्व. लक्षमणसिंह गोविन्दसिंह जयसिंह तथा कमला कवंर का प्रत्येक का पृथक पृथक 1/4 हक व हिस्सा की खातेदारी की घोषणा प्रार्थीगण अपने नाम पर राजस्व रिकार्ड में करवाने के अधिकारी है।

6. लक्षमणसिंह की मृत्यु अपने पिता मोहनसिंह की मृत्यु से एक वर्ष पूर्व हो जाने से लक्षमणसिंह के भाई गोविन्दसिंह व जयसिंह तथा माता कमला कवंर ने मृतक लक्षमणसिंह के विधिक उत्तराधिकारी प्रार्थीगण का नाम जानबुझ कर षडयन्त्रपूर्वक राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया। जबकि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजीयात में लक्षमणसिंह के हिस्से में वैधानिक रूप से हिस्सा स्थापित होने से हिस्से की घोषणा प्रार्थीगण अपने नाम पर करवाने के अधिकारी है।

7. खाता संख्या 709 में अप्रार्थीगण कमला कवंर गोविन्दसिंह व जयसिंह से द्वारा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी कैलाशसिंह को अन्तरित कर दिया गया जबकि इस खाते में अप्राथीगण गोविन्दसिंह, जयसिंह व कमला के साथ में प्रार्थीगण का भी 1/8 हिस्सा था। इसलिये अप्राथीगण के द्वारा कैलाशसिंह के पक्ष में किया गया अन्तरण प्रार्थीगण के हितो के प्रति बेअसर होने से प्रार्थीगण अनुशांनिक अनुतोष के अन्तर्गत अपने हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

8. खाता संख्या 1320 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण गोविन्दसिंह जयसिंह तथा कमला कवंर के सयुक्त प्राथीगण का भी 1/8 हिस्सा बनता है लेकिन अप्रार्थीगण के द्वारा संयुक्त प्रार्थीगण के हिस्से को अपने हिस्से में सम्मिलित करते हुये संयुक्त रूप से 1/9 हिस्से का अन्तरण प्रतिवादी सत्यनारायण को कर दिया जो प्रार्थीगण के हितो के प्रति बेअसर होने से प्रार्थीगण अनुशांगिक अनुतोष के अन्तर्गत अपने हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

9. अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण के वैधानिक हिस्से की घोषणा करवाने बिना ही आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर अमादा वंचित [illegible] अमादा है। अगर अप्रार्थीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द कर दिया जायेगा अथवा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर दिया जायेगा तो प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी कि उसकी पूर्ति अन्य किसी प्रकार सम्भव नहीं होगी इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:51:48 IST
Reason: SelfAttested

10. प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केश प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक सम्पति है। अप्रार्थीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

को खुर्द बुर्द कर दी गयी तो प्रार्थीगण सदैव के लिये अपनी वैधानिक सम्पति के स्वामित्व व उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगे तथा प्रार्थीगण को असुविधा कारीत होगी। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढेगी जिसमें काफी समय व धन खर्च होगा इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नही करे और ना ही राजस्व रिकार्ड व मौके कि स्थिति में परिवर्तन करे अथवा करावे।

1. प्रार्थनापत्र की कलम सं. 1 स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण का वाद कयासी एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारीत होने से निश्चित ही खारीज होगा।
2. प्रार्थनापत्र की कलम सं. 2 में वर्णित आराजीयात मौजा बोहेड़ा में स्थित होना स्वीकार है।
3. प्रार्थनापत्र की चरण सं. 3 की जवाब इस प्रकार है कि खाता सं. 79 के अन्तर्गत आराजी में गोविन्दसिंह व जयसिंह का पृथक पृथक रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज होना तथा खाता सं. 1320 मे गोविन्दसिंह का 1/18 हिस्सा तथा जयसिंह व कमला कवंर के नाम पृथक पृथक 1/6 हिस्सा दर्ज होना स्वीकार है।
4. प्रार्थनापत्र की चरण सं. 4 में वर्णित सजरा कजोड सिंह जी के 2 पुत्र मोहनसिंह व भेरूसिंह का होना स्वीकार है। मोहनसिंह के वारीसान के बारे में विपक्षीगण को कोई जानकारी नहीं होने से अस्वीकार है। भेरूसिंह जी का जीवित होना स्वीकार है। उक्त आराजीयात में भेरूसिंह जी का 1/2 हिस्सा दर्ज होना स्वीकार है तथा खाता सं. 709 में कैलाशसिंह का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है एवं खाता सं. 1320 की आराजी में सत्यनारायण का 1/9 हक हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा विपक्षी सं. 5 व 6 अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।
5. प्रार्थनापत्र की चरण सं. 5 का जवाब इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी पैतृक सम्पति की होना स्वीकार नहीं है। मोहनसिंह जी की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी गोविन्दसिंह जयसिंह व कमला कवंर के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई तथा आराजी नं. 410, 414, 418, 421, 422 व 427 में गोविनदसिंह का 1/6 हक हिस्सा दर्ज रिकार्ड था जिसे 1,50,000/– रूपये में गोविन्दसिंह ने अपने 1/6 हिस्से में से 2/3 हिस्सा यानि कि 1/9 हिस्से की भूमि दिनांक 17/06/2019 को जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर दी तथा खाता सं. 709 में से कमला कवंर ने अपना 1/6 हिस्सा विपक्षी सं. 5 कैलाश को जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर दी तथा खाता सं. 709 में से कमला कवंर ने अपना 1/6 हिस्सा विपक्षी सं. 5 कैलाश को जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर दी तभी से खरीदशुदा आराजी पर कैलाश सिंह काबिज है। उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण का 1/4 हक हिस्सा होना स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है।
6. प्रार्थनापत्र की चरण सं. 6 का जवाब इस प्रकार है कि मोहनसिंह जी मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात गोविन्दसिंह जयसिंह व कमला कवंर के नाम पर दर्ज होना स्वीकार है लेकिन उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण का हक हिस्सा होना स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात में घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है।
7. प्रार्थनापत्र की चरण सं. 7 का जवाब इस प्रकार है कि कमला कवंर ने अपना 1/6 हिस्सा कैलाशसिंह को अन्तरित किया है गोविन्दसिंह व जयसिंह ने अपना हिस्सा अन्तरित नहीं किया है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण का 1/8 हिस्सा होना स्वीकार नहीं है विपक्षी कैलाश ने उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:51:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के न्यायालय से निरस्त नहीं करा ले तब तक उक्त वाद चलने योग्य नहीं है।

8. प्रार्थनापत्र की चरण सं. 8 का जवाब प्रकार है कि खाता सं. 1320 में प्रार्थीगण का हिस्सा होना स्वीकार नहीं है। विपक्षी गोविन्दसिंह ने अपना 1/9 हिस्सा विपक्षी सं. 6 सत्यनारायण को जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय किया है इसलिए विपक्षी उक्त 1/9 हिस्से पर विपक्षी सं. 6 काबिज है इसलिए प्रार्थीगण घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है।
9. प्रार्थनापत्र की चरण सं. 9 स्वीकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा। विपक्षीगण का राजस्व रिकार्ड में वर्णित हिस्से अनुसार कब्जा चला आ रहा है विपक्षीगण सं. 5 व 6 अपनी खरीदशुदा आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है इसलिए वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है।
10. प्रार्थनापत्र की कलम सं. 10 स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केश प्रमाणित नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात विपक्षीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा विपक्षीगण रिकार्ड में वर्णित हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केश प्रमाणित नहीं होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। यदि विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तो अपूर्णीय क्षति विपक्षीगण को होगी। चुंकि विपक्षीगण अपनी आराजीयात की उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जावेंगे इसलिए विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सार हीन होने से मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावे।

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं का प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी हैं । विपक्षीगण प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी है। जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरित करने हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में सफल रहे है।

सहायक कलेक्टर
वड़ीसादड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:51:48 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णय :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा बोहेड़ा पटवार हल्का बोहेड़ा की आराजी नं. 410, 414, 418, 421, 422, 427 कुल किता 6 रकबा 1.0800 हैक्ट. तथा आराजी नं. 376 रकबा 0.6900 भूमि पर विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करे और ना ही राजस्व रिकोर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन करे अथवा करावे।

यह आदेश आज दिनांक 10.11.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)
सत्यमेव जयते

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:51:48 IST
Reason: SelfAttested